सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 07 चैत्र, 1944 (श०) / 28 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 90

(1)	गृह विभाग	57
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	10
(3)	वित्त विभाग	08
(4)	उद्योग विभाग	08
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	02
(6)	मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	01
(7)	गन्ना उद्योग विभाग	02
(8)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	02
	कुल योग --	90

घेराबंदी कराना

*3239. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुराण के ग्राम-बंधरा स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है एवं आवारा पशु विचरण करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निरस्त कराना

*3240. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000, दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई के स्थान पर अनवरत रूप से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा पर रखा जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 जनवरी, 2022 को पारित न्यायादेश Civil Appeal No. 628 of 2022 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति दिया जाना है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रोन्नत पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त संविदा नियोजन को निरस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000, दिनांक 10 जुलाई, 2015 के प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन इस शर्त के साथ किया जाता है कि जिस पद की रिक्ति के विरुद्ध उनका संविदा नियोजन किया गया है उस पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के फलस्वरूप योग्य कर्मी के उपलब्ध होते ही उनका संविदा नियोजन स्वत: समाप्त हो जायेगा ।

(3) आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया गया है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 4880/2017 राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा सम्बद्ध मामले को सम्प्रति निष्पादित नहीं किया गया है ।

(4) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

नियुक्त करना

*3241. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1387, दिनांक 29 अप्रील, 2005 द्वारा मो0 सकीम साह को चौकीदार के पद पर नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि मो0 सकीम साह 1997 से 2012 तक खगड़िया में चौकीदार के पद पर कार्य कर चुके हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मो0 सकीम साह को पुलिस अधीक्षक, खगड़िया की अनुशंसा के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मक्का आधारित प्रोसेसिंग यूनिट खोलना

*3242. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड प्रदेश का सबसे पिछड़ा प्रखंड है तथा यहाँ एक भी उद्योग संचालित नहीं रहने के कारण अधिकतर लोग रोजगार हेतु अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर बनने पर मजबूर हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनपुर प्रखंड के दर्जनों गाँव यथा बौराहा, मौजहा, सोनवर्षा, दूषियाही, परसामार्घा, खानपुर, मेहासीमर, चैनसिंहपटी, आसनपुर, कुपहा आदि में लगभग 2500 एकड़ से अधिक में मक्का की खेती होती है, मक्का की उपलब्धता तथा अत्यधिक पैदावार होने के कारण किसानों को मक्का औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किशनपुर में मक्का आधारित प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लापता व्यक्ति की तलाश कराना

*3243. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी थाना के ईदगाह मुहल्ला, वार्ड नम्बर 23 के मुकद्दर अंसारी उम्र 26 साल है, जो दिनांक 26 जून, 2021 के 6:00 बजे पूर्वा0 से लापता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डिहरी नगर थाना में कांड संख्या 347/2021 दर्ज किया गया है, लेकिन अभीतक थाना प्रभारी के द्वारा लापता का पता नहीं लगाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त लापता व्यक्ति की तलाश कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*3244. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के गोह पंचायत के गोह ब्लॉक के पास तथा मलहद पंचायत के ग्राम-बेला में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा जानवर घूमते रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*3245. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड रघुनाथपुर पंचायत के वार्ड नम्बर 10 के दो एकड़ जमीन पर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से आवारा जानवर यत्र-तत्र गंदगी फैलाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3246. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वक्फ स्टेट संख्या 1469 खैरा प्रखंड सहार, जिला भोजपुर वक्फ की 65 डिसमिल जमीन मस्जिद के रूप में वर्तमान में उपयोग में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कमरूजमा एवं उनके पुत्र अलीइमाम एवं जाहिदइमाम द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से आबिद अंसारी, नंदजी यादव, हरे राम यादव सहित अन्य उनके द्वारा बेचा गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वक्फ बोर्ड की उक्त जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*3247. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखण्ड स्थित दिग्घी पोखर सिसौना कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, अररिया के पत्रांक 97, दिनांक 13 जनवरी, 2022 द्वारा अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण, संगठन कार्य अंचल, पूर्णियाँ को 10195200 रु0 की तकनीकी स्वीकृति दी गई है, लेकिन अभीतक कार्य आरंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*3248. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत बिहटा प्रखण्ड के सदीशोपुर रेलवे स्टेशन के निकट गेंदाटोला तथा गोंकी के बीच अस्थायी थाना स्थापित था जिसे वर्ष 2016 में हटा दिया गया है, यदि हाँ, तो उक्त थाना को हटाने का क्या औचित्य है ?

घेराबंदी कराना

*3249. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी(अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखण्ड के हरिगिरी धाम मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है, मगर अभीतक इस मंदिर की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

*3250. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला औरंगाबाद अन्तर्गत मदनपुर प्रखंड के मनीका के ग्राम-मनीका में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक भी शाखा नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों एवं व्यापारियों को वित्तीय कार्य करने में काफी कठिनाई होती है जबकि उक्त ग्राम पंचायत की 5000 (पाँच हजार) आबादी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग स्थापित कराना

*3251. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के बड़हरिया प्रखंड पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, जहाँ कोई भी कुटीर/लघु/वृहत उद्योग स्थापित नहीं होने से इस क्षेत्र के अधिकांश लोग अन्य राज्यों में मजदूरी करने को विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु बड़हरिया प्रखंड के तरवारा में एक वृहद् उद्योग स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि कोई इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत अनुमान्य सहायता प्रदान की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ वार्ता कर नये उद्योगों को लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत सीवान जिला में अबतक उद्योग की स्थापना हेतु कुल 18 प्रस्तावों पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, द्वारा स्टेज-1 क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) तथा कुल-04 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है।

प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना

*3252. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के पहाड़ पर पाए जाने वाले वन-उपज जैसे महुआ, तीन-तियार इत्यादि के भारी मात्रा में उपज होने के बाद भी उसके प्रोसेसिंग यूनिट ना होने के चलते उक्त उपज नष्ट हो जाता है या कम कीमतों में बेचना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के पहाड़ी पर उद्योग विकसित करने हेतु महुआ एवं तियार पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का नवनिर्माण कराना

*3253. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला मुख्यालय के खादी ग्रामोद्योग भवन काफी जर्जर है, जिसके कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खादी ग्रामोद्योग भवन का नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--मधेपुरा जिला मुख्यालय में स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, सहरसा के अंतर्गत आता है जो कि एक गैर-सरकारी संस्था है तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से पंजीकृत है। सरकार के पास उक्त खादी ग्रामोद्योग भवन के नवनिर्माण से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घेराबंदी कराना

*3254. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत, कोचहसा के ग्राम-वाजीतपुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण जमीन का अतिक्रमण हो रहा है एवं आवारा पशु विचरण करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दमकल यंत्र रखना

*3255. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत मुरलीगंज प्रखंड मुख्यालय में कई बड़े-बड़े पुराने जूट प्रतिष्ठान एवं दूकान हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उन जून प्रतिष्ठानों में अक्सरहाँ भयंकर अग्निकांड होते रहते हैं, जिसके बचाव हेतु मात्र एक छोटा अग्निशामक गाड़ी है और जरूरत पड़ने पर 32 किलो मीटर दूर उदाकिशुनगंज एवं मधेपुरा 24 किलो मीटर से आते-आते सब कुछ जलकर खाक हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुरलीगंज प्रखंड मुख्यालय में बड़ा दमकल यंत्र रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*3256. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के श्रीनगर थाना के स्टाफ के लिये आवासीय क्वार्टर नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार श्रीनगर थाना के स्टाफ के लिये आवासीय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की चहारदीवारी

*3257. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बैसा प्रखंड के खगरुआ कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कार्य अभीतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान के चहारदीवारी निर्माण कार्य नहीं होने से आवारा पशुओं का प्रवेश लगातार होते रहता है जिससे वहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3258. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''एक ही रात 13 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मंझौल बाजार में 30 जनवरी, 2022 की रात लगभग 13 से अधिक दुकानों में चोरी हुई, जबकि थाना/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय बस 300 मीटर दूर है तथा घटना के बाद पुलिस प्रशासन के विरुद्ध आक्रोशित दुकानदारों एवं ग्रामीणों द्वारा शांतिपूर्ण सड़क जाम किया गया जिसमें पुलिस द्वारा 23 नामजद एवं 60-70 अज्ञात लोगों पर मंझौल ओ0पी0 के पु0अ0नि0 द्वारा चेरिया बरियापुर थाना कांड संख्या 36/22 दर्ज कराया गया है एवं इसमें कई निर्दोष एवं पढ़ाई कर रहे छात्रों के नाम शामिल है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घटना में नामजद निर्दोष लोगों को केस से मुक्त करते हुये थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मझौल के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारा का निर्माण

*3259. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बखरी अनुमंडल की स्थापना सन् 1994 में हुई थी, किन्तु स्थापना के 27 वर्षों बाद भी अनुमंडल कारा का निर्माण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय कारा के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3260. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड राजपुर के ग्राम पंचायत मंगराव के ग्राम-मँगराव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*3261. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के परैया प्रखंड अन्तर्गत धर्मशाला में अवस्थित पुरानी मंदिर की चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, फलस्वरूप मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालुगण को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*3262. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड हथुआ के बरीईशर पंचायत के ग्राम-बरीईशर में राजेन्द्र चौधरी के घर के सामने अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विशेष अवकाश की सुविधा देना

*3263. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा (अ०जा०))--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सभी सरकारी विभागों में कार्यरत सभी महिला कर्मियों को सरकार के नियमानुसार विशेष अवकाश देय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को उक्त अवकाश की सुविधा देय नहीं रहने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित महिला कर्मियों को विशेष अवकाश की सुविधा कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*3264. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसण्ड प्रखंड में थाना के पुलिस पदाधिकारियों के रहने के लिये आवास नहीं है जबकि थाना कैम्पस में भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पदाधिकारियों के लिये आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3265. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड फुलवरिया के फुलवरिया थाना कांड संख्या 250/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 दर्ज है, जिसमें श्री गौतम कुमार सिंह एवं श्री सुभाष सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है जबकि श्री गौतम कुमार सिंह, सिंगापुर विदेश में रह रहे थे और सुभाष सिंह जो बड़ोदरा, ग्वालियर में पावर ग्रिड में कार्य करते थे फिर भी तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा इन्हें अभियुक्त बना दिया गया है इस संबंध में वर्णित अभियुक्तों द्वारा एसपी, गोपालगंज को आवेदन दिया गया परंतु आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार मामले की जांच कराते हुये तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ ही संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये कबतक दोनों व्यक्तियों को उक्त कांड से मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*3266. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के तरियानी छपरा थाना के सौली रूपौली एवं सिरसिया गांव को सीतामढ़ी जिला के बेलसंड थाना के क्षेत्राधिकार में करने तथा सीतामढ़ी जिला के बेलसंड थाना के खोरठा एवं खुरपट्टी को शिवहर जिला के तरियानी छपरा थाना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करने हेतु आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक सं० 27-01/2021-2437 मुज०, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा पुलिस उप-महानिरीक्षक (मानवाधिकार) बिहार पुलिस मुख्यालय, (स्थापना एवं विधि प्रयोग) बिहार, पटना को पत्र भेजा गया है किन्तु अभीतक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार बेलसंड थाना अंतर्गत सौली रूपौली एवं सिरसिया गांव को एवं तरियानी थाना छपरा में खोरठा एवं खुरपट्टी को जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन दिलाना

*3267. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई, 2015 को प्रकाशित बिहार गजट की पृष्ठ संख्या 100 कंडिका (ख), के आधार पर बिना जेल प्रमाण-पत्र के सलाहकार परिषद् के अनुशंसा पर जे०पी० सेनानियों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कंडिका, (ख) के आलोक में विगत दो वर्षों से अधिक समय से राज्य स्तर पर लगभग 1100 आवेदन विभागीय स्तर पर जांच कर लंबित है तथा पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागीय स्तर पर जांच कर लंबित आवेदनों को निष्पादित कराते हुये पेंशनधारियों को पेंशन दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3268. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी प्रखंड के बेदौल पंचायत के वार्ड नं० 14 स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी/घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*3269. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के घैलाढ़ एवं भर्राही ओ०पी० का अपना भवन नहीं रहने के कारण जल संसाधन विभाग के जर्जर मकान में चल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जल संसाधन विभाग की जमीन को गृह विभाग में हस्तान्तरित का ओ०पी० के लिये अपना भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*3270. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत हसपुरा प्रखंड के हसपुरा पंचायत के ग्राम-रघुनाथपुर तथा डुमरा पंचायत के ग्राम-नारसन में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशु घूमते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*3271. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप-विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी कार्यालयों में कार्यवश जाने वाले प्रतिनिधि/आमजन के बैठने के लिये आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण मा० सांसद/मा० विधायक, वरिष्ठ नागरिको, स्वतंत्रता सेनानियों को जिलास्तरीय, वरीय पदाधिकारी से मिलने में विलम्ब होने पर खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता है यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के वरीय पदाधिकारी कार्यालय के पास आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष निर्माण/व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्यत: सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, उप-विकास आयुक्त, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आगन्तुक कक्ष उपलब्ध है । सभी थानों में आगन्तुक कक्ष की व्यवस्था की जा रही है । गृह विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लगभग 660 थाना में आगन्तुक कक्ष का निर्माण प्रक्रियाधीन है जिसमें से 392 थाना में आगन्तुक कक्ष बनकर तैयार भी हो चुका है । नये निर्माणाधीन थाना भवनों के प्राक्कलन में आगन्तुक कक्ष सम्मिलित है । जिस कार्यालय में आगन्तुक कक्ष उपलब्ध नहीं है वहां आगन्तुक कक्ष की व्यवस्था करने हेतु विभाग के स्तर से निदेश दिया जा रहा है ।

बैंक शाखा खोलना

*3272. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के दक्षिण उमगा के ग्राम-जुड़ाही में एक भी बैंक शाखा नहीं होने से आम ग्रामीणों एवं व्यापारियों को काफी कठिनाई होती है एवं वित्तीय कार्य करने में परेशानी होती है, जबकि उक्त ग्राम पंचायत की आबादी 5,000 (पाँच हजार) है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति-पत्र प्रदान करना

*3273. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 1240-1241/2011, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 तथा सिविल अपील संख्या 2795-2797 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना विज्ञापन संख्या 0511 द्वारा आरक्षी अवर निरीक्षक पद की पूरक सूची के अभ्यर्थियों के शारीरिक माप एवं जाँच दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 को हुई ;

(2) क्या यह बात सही है कि ज्योति कुमारी, पिता-सुबोध चन्द्र सिंह, ग्राम-गुआगाछी, पत्रालय-हेमकुंज, थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार पूर्णियाँ, पुलिस लाइन मैदान में तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित हुई थी, किन्तु अभीतक नियुक्ति-पत्र नहीं दिया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना दी गई है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पद पर नियुक्ति-पत्र देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*3274. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत फरकिया चर्म उद्योग सहयोग समिति लि0 का भवन जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण कराना

*3275. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतिहारी जिला के अरेराज प्रखंडान्तर्गत ब्रिटिश काल में निर्मित गोविन्दगंज थाना का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार नये मानक के अनुसार गोविन्दगंज थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्स्थापित कराना

*3276. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कटिहार सदर प्रखंड अन्तर्गत फसिया टोला, वार्ड संख्या 44 की लक्ष्मी देवी, पति-धनंजय मण्डल, अनुसूचित जन-जाति के मकान में अनिल पोद्दार, पिता-देवनाथ पोद्दार, पवन पोद्दार, पिता-अनिल पोद्दार, ममता देवी, पति-अनिल पोद्दार, साकिन फसिया टोला के द्वारा अज्ञात 10-15 लोगों के साथ दिनांक 2 फरवरी, 2022 को रात में घुसकर मार-पीट की और करीब 8-10 लाख रुपया का सामान उठाकर पूरे परिवार को निकाल बाहर किया, इसकी सूचना अनुसूचित जाति, जनजाति कटिहार थाना में दी गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी, यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उक्त परिवार को उनके मकान में पुनर्स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*3277. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नौबतपुर थाना कांड संख्या 94/22, दिनांक 19 फरवरी, 2022 में नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभीतक पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कांड में नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*3278. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में गन्ना की खेती बहुतायत से होने के बावजूद नये किस्म के गन्ने का बीज उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण किसानों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के राजपुर एवं हुसैनी कृषि फार्म से गन्ना प्रजनन कर किसानों को बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण पर रोक लगाना

*3279. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के ग्राम-नारायणपुर से केनरा बैंक को हटाकर दूसरे प्रखंड अमनौर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को वित्तीय लेन-देन में काफी कठिनाई होगी, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त केनरा बैंक के अन्यत्र स्थानान्तरण पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के ग्राम-नारायणपुर में केनरा बैंक की कोई भी शाखा कार्यरत नहीं है ।

उक्त परिस्थिति में केनरा बैंक को नारायणपुर से अमनौर प्रखंड में स्थानान्तरित करने की कोई विषय नहीं बनता है ।

राशि का भुगतान

*3280. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ० जा०))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया नन बैंकिंग कंपनी कंकडबाग शाखा, पटना में धर्मशीला कुमारी खाता सं0 16296404411 से 16296404423 तक कुल 13 खातों के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी, 2016 को राशि 5,13,797 रु0 मात्र एवं खाता सं0 16296900210 से 16296900226 तक कुल 17 खातों में दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को राशि 1,46,000 मात्र एवं खाता सं0 16296409895 से 16296409915 खाता सं0 16296409893, 16296409888, 16296409915 कुल 24 खातों के अंतर्गत 2,05,965 रु0 राशि मात्र दिनांक 10 सितम्बर, 2016 को निवेश किया गया है, किन्तु खाताधारक के परिपक्वता अवधि पूरा होने के उपरांत भी कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार खाताधारक का पूर्णराशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

त्रुटि का निराकरण करना

*3281. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्रांक 11065, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों की अंतिम असैनिक सूची में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के तहत नियुक्त सहायकों को अनुसूचित जाति/जन-जाति के रूप में दर्शाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सूची में 2014 के बाद मूलरूप से अनुसूचित जाति/जन-जाति कोटि के तहत नियुक्त प्रोन्नत सहायकों को अनुसूचित जाति/जन-जाति के तहत नहीं दर्शाया गया है जबकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के तहत नियुक्त उसी बैच के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि में नियुक्त सहायक श्री सुजीत कुमार वरीयता क्रम संख्या 1364 को वि0प0 सं0 9532, दिनांक 01 जुलाई, 2015 के आलोक में अनुसूचित जाति के रूप में दर्शाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों की अंतिम असैनिक सूची, 2021 में हुई त्रुटि का निराकरण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) (i) उत्तर अंशत: स्वीकारात्मक है।

(ii) वस्तुत: सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 9532 दिनांक 01 जुलाई, 2015 एवं परिपत्र संख्या 10818, दिनांक 08 अगस्त, 2016 के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति/जन-जाति का लाभ प्रदान किये जाने के कारण उक्त कोटि के सहायकों को अनुसूचित जाति/जन-जाति के रूप में दर्शाया गया है।

(2) (i) उत्तर अंशत: स्वीकारात्मक है।

(ii) वस्तुत: उक्त सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1690, दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा औपबंधिक असैनिक सूची प्रकाशित करते हुए आपत्ति की माँग की गई ।

(iii) आपत्ति अप्राप्त रहने के कारण प्रोन्नत सहायकों को अनुसूचित जाति/जन-जाति के तहत नहीं दर्शाया जा सका, जिसका निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 3891, दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा किया जा चुका है।

(iv) श्री सुजीत कुमार (सिविल लिस्ट क्रमांक 1364) ताँती (ततवाँ) समुदाय से आते हैं एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 9532, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा ताँती (ततवाँ) जाति को अनुसूचित जाति का लाभ प्रदान किया गया है। अत: इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में दर्शाया गया है।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 3891, दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण किया जा चुका है।

बुनकर उद्योग लगवाना

*3282. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली प्रखंड अन्तर्गत दो खादी ग्रामोद्योग सर्वोदय आश्रम, रूपौली, टीकापट्टी स्थित है जिनके पास लघु उद्योग लगाने हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सर्वोदय आश्रम में कपड़ा बुनकर उद्योग लग जाने से क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार मिलेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सर्वोदय आश्रम में कपड़ा बुनकर उद्योग लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग सर्वोदय आश्रम, रूपौली में कपड़ा बुनकर उद्योग लगाने हेतु प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

कार्रवाई करना

*3283. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2022 को एक बजे रात्रि में रविन्द्र राय, पिता श्री पंचेलाल राय, ग्राम-बसंतपुर को बिना किसी मुकदमा के घर से उठा लिया था और उनके वृद्ध पिता को अपमानित किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि रविन्द्र राय को दस बजे दिन तक सोनवर्षा थाना लॉकअप में बिना किसी कारण के बंद कर रखा गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गलत ढंग से अपमानित करने वाले थाना प्रभारी सोनवर्षा, जिला सीतामढ़ी पर कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*3284. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया, महेंद्रु शाखा, पटना में सविता सिन्हा द्वारा सहारा ई-साईन सर्टिफिकेट नं0 351005982016 राशि 18000 परिपक्वता तिथि 30 जून, 2020, सुधा कुमारी द्वारा एबोड बाँड में सर्टिफिकेट नं0 478010639454, राशि 10000 परिपक्वता तिथि 15 जनवरी, 2020, सत्येन्द्र कुमार सिंह का सर्टिफिकेट नं0 478010639453 राशि 10000 परिपक्वता तिथि 15 जनवरी, 2020 एवं कंकड़बाग शाखा, पटना में सुमन मिश्रा द्वारा सहारा-इ-साईन सर्टिफिकेट नं0 351001829897-900 राशि 9000 (प्रत्येक) परिपक्वता तिथि 1 दिसम्बर, 2019 अरविंद कुमार मिश्र द्वारा सर्टिफिकेट नं0 351001829895-96 राशि 9000 (प्रत्येक) परिपक्वता तिथि 1 दिसम्बर, 2019 निवेश किया गया किन्तु परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार निवेशकों के राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3285. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखण्ड के उदयपुर, विठुआर पंचायत के थाना नं0 139, खाता नं0 1718, खेसरा नं0 4389, 4390, 4391 रकबा 2.58 डिसमिल जमीन कब्रिस्तान की है, जिसकी घेराबंदी नहीं रहने के कारण अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबदी

*3286. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के कोरहिया गाँव में स्थित कब्रिस्तान जिसका खेसरा नं0 1831, 4906 रकबा 5.48 डिसमल है, का घेराबन्दी कार्य वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु आजतक घेराबन्दी का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि घेराबन्दी का कार्य अधूरा रहने के कारण बार-बार साम्प्रदायिक सौहार्द को खतरा रहता है तथा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण भी हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कोरहिया गाँव में कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*3287. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज थाना में केस संख्या 319/21 के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कांड के दोषियों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजन कराना

*3288. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 75, दिनांक 18 जनवरी, 2022 के आलोक में कार्यपालक सहायकों के रिक्त पद की अधियाचना भेजी गई है जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 9142/2121, संतोष कुमार एवं अन्य में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 एवं 12 जनवरी, 2022 को पारित आदेश के आलोक में मुजफ्फपुर जिला पैनल कार्यपालक सहायकों का नियोजन करने का आदेश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पारित आदेश के अनुसार संतोष कुमार एवं अन्य 26 कोर्ट जाने वाले आवेदकों का नियोजन मुजफ्फरपुर जिला पैनल से कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का पुनर्निर्माण

*3289. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला का चकिया थाना जर्जर भवन में संचालित है, जिससे काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार चकिया थाना भवन का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*3290. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला पुलिस लाइन के भवन निर्माण हेतु पण्डौल, मधुबनी मुख्य सड़क सती स्थान के निकट 95 किसानों से 20 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिये प्रक्रियाधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अधिग्रहित भूमि के किसानों ने मुख्य सड़क किनारे भूमि होने के कारण आवासीय दर पर मुआवजे की माँग की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अधिग्रहित भूमि के किसानों को अवासीय दर पर मुआवंजा भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*3291. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आउटसोर्सिंग पर कार्यरत ठेकेदार/कम्पनी जैसे Beltron आदि द्वारा समयानुसार मानदेय/पारिश्रमिक का पूर्ण भुगतान नहीं कर कर्मियों का शोषण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर मानदेय में वृद्धि कर राशि कम्पनियों को देती है, जिसका लाभ कर्मियों को नहीं मिलने से वे आर्थिक बदहाली से ग्रसित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वृद्धित राशि का भुगतान कर्मियों को करने हेतु संस्था/कम्पनी को निदेशित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*3292. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के सिकटा-मैनाटांड़ प्रखंडों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक भी कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं हुई है, जबकि जिला समाहर्ता कार्यालय की संवेदनशील कब्रिस्तानों की प्राथमिकता सूची में कई कब्रिस्तान हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड क्षेत्रों में कब्रिस्तानों की जमीन के अतिक्रमण और दो पक्षों के बीच की आपसी दावेदारी को लेकर बास्टा जैसे कई गाँवों में पूर्व के वर्षों में तनाव भी पैदा होते रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिकटा-मैनाटांड़ प्रखंड क्षेत्रों में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*3293. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-रानीसागर एवं ग्राम-भेड़िया में कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिये निविदा की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद अभीतक कार्य आरंभ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कार्य को कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी करना

*3294. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जातुका पैकटोल की विधिपुर कब्रिस्तान तथा टटूआर पंचायत के जगरनाथपुर कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण असामाजिक तत्वों द्वारा करने से सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है तथा अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 की स्थापना कराना

*3295. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, पटना को प्रेषित पत्रांक 323, दिनांक 3 मई, 2021 को भेजे गये पत्र में वर्णित हलेश्वर स्थान महादेव मँदिर पर ओ0पी0 की स्थापना अबतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर ओ0पी0 की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*3296. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी एवं चकिया चीनी मिल बंद रहने से गन्ना किसानों को उनके उत्पाद का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मोतीहारी एवं चकिया चीनी मिल को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन कराना

*3297. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रथम इंटरस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी अबतक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के विभागों में नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाएँ ऑफलाइन होने के कारण नियुक्ति में विलंब होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आयोग द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3298. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण देय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी-डालमियानगर परिषद् की वर्तमान सभापति महाराष्ट्र की मूल निवासी है जो फर्जी तरीके से अतिपिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र बनाकर सभापति के पद पर विराजमान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभापति को पद से हटाकर गलत तरीके से अतिपिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले दोषी पदाधिकारियों की जांच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3299. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विशेष सचिव, गृह विभाग के पत्रांक 3471, दिनांक 22 जून, 2020 अनुज्ञप्ति संख्या 15 बी०नी०सू०आ०/2020 डोली सिक्यूरिटी इंटेलिजेंस प्राईवेट लिमिटेड को राज्य में सुरक्षा गार्ड का कार्य करने हेतु आदेश निर्गत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुरक्षा गार्ड के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण पुलिस अनुसंधान केन्द्र, सरदार पटेल भवन, पटना के जाँच रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक एवं धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी संख्या 755/2019 बेतिया सदर में मामला दर्ज रहने के बावजूद पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, बेतिया के द्वारा उक्त एजेंसी के नाम से चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त एजेंसी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देना

*3300. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत, गडहनी के देवढ़ी स्थित एथनॉल उत्पादक कंपनी बी०डी०बी०एल० द्वारा ग्राम-देवढ़ी निवासी स्व० देवसरन मुशहर का 50 डिसमिल, स्व० नायक मुशहर का 50 डिसमिल एवं स्व० यमुना मुशहर का 45 डिसमिल सहित कई लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया, कम्पनी ने जमीन देने वालों के परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी देने की बात कही थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि कम्पनी के नौकरी देने के वादे के बाद भी उक्त लोगों के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी नहीं दी गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एथनॉल उत्पादक कंपनी बी०डी०बी०एल० द्वारा जमीनदाताओं के परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी दिलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) इस प्रकार की कोई सूचना उद्योग विभाग के पास नहीं है ।

(2) तथैव ।

(3) उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

स्थानान्तरित करना

*3301. डॉ० सी०एन०गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक-कारा/स्था० (कक्ष०) 02-143/2021-5217-5225, दिनांक 30 जून, 2021, द्वारा बिहार के कारा निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक सप्ताह में ही स्थानान्तरण रद्द कर पत्रांक-कारा/स्था० (कक्ष०)02-143/2021, दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा पूर्व स्थान पर योगदान हेतु निर्देश दिया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिन्होंने पति/पत्नी के कार्यस्थल के समीप स्थानान्तरण हेतु आवेदन दिया था उन्हें भी पूर्व के स्थान पर योगदान देने का निर्देश निर्गत किया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पति या पत्नी के कार्यस्थल के समीप स्थानान्तरित हो चुके लोगों को पुन: उसी स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि मुहैया कराना

*3302. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-219, दिनांक 29 जून, 2021 के प्रासंगिक पत्र के आलोक में कारकाट विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड विक्रमगंज, काराकाट एवं संझौली में विभिन्न कब्रिस्तानों की घेराबंदी कार्य कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रखंडवार प्राक्कलन तैयार किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तैयार किये गये प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि के अभाव में उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य वर्षों से लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य कराने हेतु प्राक्कलित राशि मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सर्वर लगवाना

*3303. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन एवं किशनगंज प्रखंड मुख्यालय में आर०टी०पी०एस० सर्वर दिन के समय में नहीं के बराबर चलता है और यदि चलता भी है तो सर्वर की स्पीड काफी स्लो रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड मुख्यालयों में आर०टी०पी०एस० सर्वर का स्पीड स्लो होने के कारण संबंधित कार्य का निष्पादन समय पर नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालयों में हाई स्पीड आर०टी०पी०एस० सर्वर लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3304. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखण्ड के घत्तरगाछ पंचायत अन्तर्गत अठीयाबाड़ी वार्ड नं0 07 में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशु घूमते रहते हैं, यदि हाँ, तो सकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*3305. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सभी राज्यकर्मियों को होली और दुर्गापूजा के विशेष अवसर पर अतिरिक्त बोनस का भुगतान 1990 से पहले किया जाता था, लेकिन 1990 से बन्द है, यदि हाँ, तो सरकार अतिरिक्त बोनस का भुगतान पुनः कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आदेश पालन कराना

*3306. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्रांक 4/विविध-5-122/2018-सा0प्र0, 17107, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के आलोक में स्पष्ट आदेश दिया है कि आई0 टी0 कर्मियों की सेवा के लिए संबंधित विभागों को अधिकृत करने के दायित्व का निर्वहन सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना, बिहार द्वारा करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेश के बावजूद बेल्ट्रॉन द्वारा उक्त कार्य को निजी संस्थान द्वारा कराया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आई0 टी0 कर्मियों की सेवा से संबंधित अपने उक्त आदेश का पालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी नौकरी देना

*3307. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखण्ड के बरियाहीघाट पर करेह नदी के तट पर दिनांक 6 अप्रील, 1998 को भयंकर नौका दुर्घटना में 23 व्यक्तियों की जानें चली गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 07 अप्रील 1998 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना द्वारा ऐसे सभी परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटना में पीड़ित परिवारों के एक-एक सदस्य की घोषणा के आलोक में सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है ?

थाना में जोड़ना

*3308. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत प्रखंड हुसैनगंज में ग्राम-रेनुआ, पकवलीया, रसिदचक और पैगम्बरपुर थाना हुसेनगंज के अंतर्गत आते हैं जो नये परिसीमन में सीवान नगर परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित चारों गांव की हुसेनगंज थाना से दूरी करीब दस-बारह किलो मीटर है, जबकि सीवान नगर थाना से दूरी मात्र 1 से 2 किलो मीटर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये परिसीमन के आलोक में उक्त गांवों को हुसेनगंज थाना से स्थानांतरित कर नये थाना सीवान में जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक केन्द्र खोलना

*3309. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अन्तर्गत किशनपुर एवं पिपरा प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है, जिसके कारण जिला से प्रखंडों में अग्निशामक यंत्र के आने में अधिक समय लगता है, यदि हाँ, तो सरकार किशनपुर एवं पिपरा प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*3310. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत टीकापट्टी थाना सामुदायिक भवन में कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि टीकापट्टी थाना के नाम से जमीन उपलब्ध है, परंतु भवन निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टीकापट्टी थाना का भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*3311. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''तस्करी को लाए जा रहे पशुओं को कराया गया मुक्त, तस्कर फरार'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उत्तर बिहार में गायों के तस्करी का मामला पूर्व में भी सरकार के संज्ञान में आता रहा है, परंतु सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार गायों की तस्करी रोकने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*3312. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्णियाँ अंतर्गत प्रखंड अमौर में हक्का मौजा के बाड़ा ईदगाह कब्रिस्तान जो बाड़ा ईदगाह बाजार से उत्तर स्थित है जिसका चहारदीवारी निर्माण कार्य अभीतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य नहीं होने के कारण आवारा पशु कब्रिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं ;

(3)यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदनाम परिवर्तन

*3313. डॉ० सी०एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार में आप्त सचिव के पद को निजी सचिव नामित किया गया है जबकि बिहार आशुलिपिक नियमावली में आप्त सचिव ही नामित है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार सरकार में भी आप्त सचिव के नाम के स्थान पर कबतक निजी सचिव करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3314. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड के नरपतिनगर पंचायत के थाना नं० 99, खाता नं० 1091, खेसरा नं० 301, 302, रकबा 0.99+0.12 डिसमिल जमीन कब्रिस्तान की है, जिसकी घेराबंदी नहीं रहने के कारण अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंकों की शाखा खोलना

*3315. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत काराकाट प्रखंड के अमौना पंचायत में अमौना ग्राम स्थित बाजार के आस-पास एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई शाखा कार्यरत नहीं है जबकि यह गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार में राष्ट्रीयकृत या ग्रामीण बैंकों की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शहीद स्मृति का निर्माण

*3316. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जय गोबिन्द प्रसाद, बाबूचक, फुलवारी निवासी सिपाही 801105 7वीं बटालियन, बिहार रेजीमेंट दानापुर 27 अप्रै 1965 में छमजुरिया, जम्मु कशमीर में शहीद हुये थे परन्तु उनके सम्मान में अबतक गांव में शहीद स्मृति द्वार या मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार शहीद जय गोबिंद प्रसाद के सम्मान में गांव में स्मृति द्वार/मूर्ति बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मियों की पदस्थापना

*3317. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश शहरों में ट्रैफिक की समस्या के निदान एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जनवरी, 2021 में महानिरीक्षक, यातायात, के पद पर पदस्थापना कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक महानिरीक्षक, यातायात कार्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु मानक के अनुरूप कर्मियों की पदस्थापना नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महानिरीक्षक, यातायात, कार्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु मानक के अनुरूप कर्मियों की पदस्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमावली में संशोधन कराना

*3318. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत्त/मृत चौकीदार/दफादारों के आश्रितों को नियुक्ति के लिये नियमावली में प्रावधान नहीं है जिसके कारण सेवानिवृत्त चौकीदार/दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार सेवानिवृत्त/मृत चौकीदार एवं दफादारों के आश्रितों को नियुक्ति हेतु नियमावली में संशोधन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3319. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत अन्तर्गत देहलबाड़ी व मीलीकबस्ती ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, जिसके कारण अतिक्रमण का डर बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की स्थापना

*3320. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के कासनगर पंचायत के कासनगर बाजार में कोई भी बैंक नहीं है, जिससे व्यवसायियों को पैसा जमा करने में काफी कठिनाइयाँ हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के व्यवसायियों को पैसा जमा करने हेतु सोनवर्षा जाना पड़ता है कभी-कभी तो असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवसायियों के साथ लूटपाट भी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कासनगर पंचायत के कासनगर बाजार में बैंक की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नीलामी कराना

*3321. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज आदर्श थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त सैकड़ों बाइक, ट्रक, बस और कार थाना परिसर में रखा हुआ जंग खा रहा है जिसमें थाना परिसर भरा रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन वाहनों की नीलामी या अन्य प्रक्रिया के तहत थाना परिसर खाली कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3322. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के फ्रेजर रोड समीप वक्फ की जमीन पर फजल इमाम कॉम्पलेक्स के B-Block के First Floor में चिह्नित स्थान पर नमाज होती थी और अब उस स्थान पर नमाज बंद कर दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिया वक्फ बोर्ड के मुत्वल्ली और नामीरा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के बिल्डर ने गलत तरीके से वक्फ के शेयर को खलीद अजीम, ग्रीन सिटी फ्रेजर रोड, पटना को बेचा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कॉम्पलेक्स के फस्ट फ्लोर में पुनः नमाज शुरू कराने के साथ ही शिया वक्फ बोर्ड की मनवल्लिया एवं नामीरा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के बिल्डर के विरुद्ध जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3323. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के औरंगाबाद जिला अन्तर्गत ओबरा तथा नवीकार, अंबा, मदनपुर आदि के बुनकरों का जीवन-यापन का मुख्य जरिया कालीन उद्योग था किन्तु वर्ष 2001 के बाद यहाँ के सारे कालीन उद्योग सरकार की उदासीनता कारण बंद होने लगे हैं जिससे बनुकरों के भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार बंद हो रहे कालीन उद्योगों एवं बुनकरों के उत्थान के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3324. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कुट्टी पंचायत के धनसोना मौजा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण अतिक्रमण होने की संभावना रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3325. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र के मोरवा प्रखंड के चकसिकन्दर पंचायत के वार्ड नम्बर 4 में 5 वर्ष पूर्व में कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य कराया गया है परंतु चहारदीवारी का कार्य पूर्ण नहीं होने के फलस्वरूप असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

CCTV कैमरा लगवाना

*3326. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज और दुल्हिनबाजार में आये दिन चोरी लूट और अन्य घटनाएँ हो रही है, जिसे रोकने में स्थानीय थाना निष्प्रभावी होती जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्य बाजार और महत्वपूर्ण जगहों पर CCTV कैमरा नहीं होने के कारण अपराधी की पहचान नहीं हो पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पालीगंज और दुल्हिनबाजार में CCTV कैमरा कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*3327. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के संझौली पंचायत के कदबा गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण जमीन का अतिक्रमण होने से दो समुदाय के बीच आपस में विवाद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विवादित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय वृद्धि करना

*3328. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को 24वीं बैठक में बेल्ट्रॉन में समकक्ष योग्यता वाले पद के अनुरूप मानदेय बढ़ाने हेतु निर्णय लिया गया था लेकिन बेल्ट्रॉन के पत्रांक एम0पी0 834/19, दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के निर्णय के आलोक में सरकार आई0टी0 सहायक के मानदेय वृद्धि कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 125(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550